रेरा ने किया घर खरीदारों का काम आसान

नई दिल्ली। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी वाले होम लोन देने की योजना को अब एमआईजी को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है और रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम रेरा की शुरूआत से घर खरीदारों के काम को भी आसान बना दिया है। यह बात रवींद्र सुधालकर, ईडी और सीईओ, रिलायंस होम फाइनेंस ने कहीं। उन्होने कहा कि लोग केन्द्रता और नीति के लिए यही सुधारवादी दृष्टिकोण ही जेब के अनुकूल पाकिट फ्रेंड्ली घरों और पूंजी के लिए मार्ग तैयार कर रही है, जो डेलिवर करने की जवाबदेही की शुरुआत करेगी और घर के खरीदारों के विश्वास को भी प्रशस्त करेगी। रेरा ने खरीदार के पक्ष में संतुलन को झुका दिया है। अचल संपत्ति के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना लगभग सभी परियोजनाओं के अनिवार्य पंजीकरण और बिक्री समझौते के मानकीकरण से खरीदार को आराम दिलाता है। रेरा के कारण मकान गलत ढंग से बेंचने की युक्ति धीरे-धीरे गायब हो जाएगी।